झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा
पंचम (बजट)– सत्र
वर्ग– 01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 10 फाल्गुन, 1937 [श0] / 29 फरवरी, 2016 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
69–	अ0सू0– 29	श्री संजीव सिंह	कमिश्नरी का दर्जा देना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	15.02.2016
70–	अ0सू0– 37	श्रीमती जोबा मांझी	कार्यालय बनाना	मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी	24.02.2016
71–	अ0सू0– 20	श्री जानकी प्र0 यादव	ऐनेक्चर II से ऐनेक्चर I में चिन्हित	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	10.02.2016
72–	अ0सू0– 16	श्री प्रदीप यादव	पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	योजना सह– वित्त	10.02.2016
73–	अ0सू0– 27	श्री राज सिन्हा	सरकार का पक्ष रखना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	15.02.2016
74–	अ0सू0– 31	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	15.02.2016
75–	अ0सू0– 32	श्री अमित कुमार	राहत कार्य प्रारंभ करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	15.02.2016
76–	अ0सू0– 01	श्री राधाकृष्ण किशोर	आपदा मद से जलापूर्ति	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	05.02.2016
77–	अ0सू0– 09	श्री बिरंची नारायण	राज्य लोक सेवा परिदान आयो का गठन।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	10.02.2016

(कृ0पृ0उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
78—	अ0सू0— 14	डॉ0 जीतू चरण राम	अनुमण्डल का निर्माण	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	10.02.2016
79—	अ0सू0— 39	श्री मनोज कु0 यादव	अनुसूचित जाति आयोग का गठन।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.02.2016
80—	अ0सू0— 21	श्री अनन्त कु0 ओझा	अग्निशमन केन्द्र की स्थापना	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	10.02.2016
81—	अ0सू0— 04	श्री सुखदेव भगत	दुष्कर्म घटना का रोकथाम	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	08.02.2016
82—	अ0सू0— 30	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	15.02.2016
83—	अ0सू0— 08	श्री योगेश्वर महतो	आरक्षण का लाभ देना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	08.02.2016
84—	अ0सू0— 33	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	योजना सह—वित्त	17.02.2016
85—	अ0सू0— 28	श्री शिवशंकर उराँव	बच्चों को मुक्त कराना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	15.02.2016
86—	अ0सू0— 02	श्री राधाकृष्ण किशोर	जेलो में लगे जेमर की मरम्मती।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	05.02.2016
87—	अ0सू0— 24	श्री अशोक कुमार	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.02.2016
88—	अ0सू0— 05	श्री सुखदेव भगत	अग्रिम निकासी पर रोक	योजना सह— वित्त	08.02.2016
89—	अ0सू0— 40	श्री नागेन्द्र महतो	झारखण्ड आन्दोलन कारियों को सुविधा देना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	24.02.2016
90—	अ0सू0— 10	श्री बिरंची नारायण	पुलिस पोस्ट की स्थापना	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	10.02.2016
91—	अ0सू0— 07	श्री आलमगीर आलम	योजना राशि खर्च करना।	योजना सह— वित्त	08.02.2016
92—	अ0सू0— 17	श्री प्रदीप यादव	दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	10.02.2016
93—	अ0सू0— 38	श्री नलिन सोरेन	आरक्षण पुनः लागू करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	24.02.2016
94—	अ0सू0— 22	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	पिछड़ा वर्ग वित्त निगम का गठन	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.02.2016
95—	अ0सू0— 19	श्री रामकुमार पाहन	मुआवजे का भुगतान।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	10.02.2016
96—	अ0सू0— 36	श्री नवीन जयसवाल	वेतन विसंगति दूर करना।	योजना सह— वित्त	22.02.2016
97—	अ0सू0— 15	श्री अरूप चटर्जी	मुआवजे का भुगतान।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	10.02.2016

उत्तर मुद्रित

उत्तर मुद्रित

(कृ0पृ0उ0)

राँची,
दिनांक– 29 फरवरी, 2016 (ई0)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक– झा0वि0स0 (प्रश्न)–03/2015.....1671...../वि0स0, रांची, दिनांक– 26/2/16

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के मा0 सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 नेता प्रतिपक्ष/अन्य मा0 मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/16
(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

ज्ञापांक– झा0वि0स0 (प्रश्न)–03/2015.....1671...../वि0स0, रांची, दिनांक– 26/2/16

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय/अपर सचिव (प्रश्न) एवं संयुक्त सचिव (वेबसाईट) को सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/16
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

सुभाष

26/02

(69)

माननीय स०वि०स० श्री संजीव सिंह द्वारा दिनांक 29.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–29 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला, राजस्व अर्जित करने वाले जिलों में राज्य में प्रथम स्थान रखता है;	अस्वीकारात्मक। राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले राजस्व संग्रहण में धनबाद जिला प्रथम स्थान नहीं रखता है।
2.	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिला के कमिश्नरी हेतु सभी अहर्ताए पूरा करने के बावजूद आजतक इसको कमिश्नरी का दर्जा नहीं दिया जा सका है;	इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धनबाद को कमिश्नरी बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15 / झा०वि०स०–15–06 / 2016 का०– 1783 / राँची, दिनांक– 26/02/2016

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–894, दिनांक–15.02.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/16

(ओम प्रकाश साह)
सरकार के उप सचिव।

(70)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा हस्तांतरित श्रीमती जोबा मांझी, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–29.02.16 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–37 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्रीमती जोबा मांझी, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि कोल्हान प्रमण्डल में अवस्थित परम्परागत ग्रामीण प्रशासन में मानकी एवं मुण्डा के अलावे संथाल परगना प्रमण्डल के सभी जिलों में परम्परागत ग्रामीण प्रधानों की व्यवस्था है, जिनका महत्वपूर्ण कार्यों में गाँव की विधि व्यवस्था सम्भालना, ग्रामीण रैयतों से लगान वसुल करना, गाँव के विकास कार्यों में सहयोग देना तथा समयानुसार सरकारी निर्देश का पालन करना भी है,		**आंशिक स्वीकारात्मक।**
2.	क्या यह बात सही है कि कोल्हान एवं संथाल परगना प्रमण्डल के ग्राम प्रधानों द्वारा निःस्वार्थ भाव से सरकार के महत्वकांक्षी योजनाओं में सहयोग देने के बावजूद गाँव में उनके लिए कार्यालय या दफ्तर नहीं है,		पंचायतों में पंचायत भवन एवं हल्कों में राजस्व कचहरी का प्रावधान है। इन कार्यालयों से विकास एवं राजस्व कार्यों का निष्पादन होता है। ग्राम–प्रधान इन कार्यालयों का उपयोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कर सकते हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में ग्राम–प्रधानों के लिए उनके ग्रामों में दफ्तर या कार्यालय बनाने का विचार रखती है, हॉ, तो कब नहीं तो क्यों ?		ग्राम प्रधानों के लिए अलग से कार्यालय के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–6/वि0स0 (अल्पसूचित) –50/16 755(6)/रा0 दिनांक– 27-2-16

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1457/वि0स0, दिनांक–24.02.16 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव

एनेक्चर-2 से एनेक्चर-1 में चिन्हित।

71. श्री जानकी प्रसाद यादव--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बता सही है कि ग्वाला (यादव) जाति राज्य में एनेक्चर-2 में चिन्हित है;

(2) क्या यह बात सही है कि एनेक्चर-2 में चिन्हित होने के कारण इन्हें उचित सरकारी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे इनके शैक्षणिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहित में ग्वाला (यादव) जाति को एनेक्चर-2 से एनेक्चर-1 में चिन्हित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

''यादव (ग्वाला)'' राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक 22 पर सूचीबद्ध है ।

(2) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-5162 दिनांक 25 सितम्बर, 2008 द्वारा झारखण्ड राज्य में राज्य स्तरीय पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-ii) को क्रमशः 08 प्रतिशत एवं 06 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा अनुमान्य है । तदनुसार यादव (ग्वाला) जाति को पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-ii) में अनुमान्य आरक्षण की सुविधा मिलती है ।

(3) ''यादव (ग्वाला)'' को पि०वर्ग (अनुसूची-ii) से अ०पि०वर्ग (अनुसूची-i) में शामिल करने के लिए पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की अनुशंसा आवश्यक है ।

पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई ।

72. श्री प्रदीप यादव--क्या मंत्री, योजना-सह-वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बता सही है कि वित्तीय वर्ष 2015 -16 में राज्य में स्वकर राजस्व एवं भिन्न राजस्व के वार्षिक लक्ष्य क्रमशः 14,700.78 एवं 6,304.13 करोड़ रुपये के विरूद्ध 31 दिसम्बर, 2015 तक लक्ष्य प्राप्ति क्रमशः 6,989.75 (47.54 %) एवं 3,679.61 (58.36 %) करोड़ रुपये हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस कम राजस्व प्राप्ति का प्रभाव राज्य के संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

गत वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर माह तक स्व-कर राजस्व प्राप्ति में 9.3 % एवं कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति में 49.77 % की बढ़ोत्तरी हुई है ।

(2) अस्वीकारात्मक । गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में (दिसम्बर माह तक) योजना व्यय रु० 7. 650.03 करोड़ की तुलना में इस वित्तीय वर्ष 2015-16 में (दिसम्बर माह तक) योजना व्यय रु० 14,469. 52 करोड़ है, जो लगभग दोगुनी की वृद्धि है ।

(3) राजस्व संग्रहण में सक्रियता हेतु नियमित रूप से संबंधित विभागों के साथ समीक्षात्मक बैठक की जा रही है ।

सरकार का पक्ष रखना ।

73. श्री राज सिन्हा--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बता सही है कि मनोज कुमार, आई०ए०एस० के विरूद्ध सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भारतीय प्रशासनिक सेवा में दी गयी उनकी पदोन्नति के विरूद्ध 2015 में याचिका दायर की गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि उनके विरूद्ध किये गये जाँच का प्रतिवेदन सरकार का पक्ष कैट में नहीं रखा गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यथा शीघ्र अपना पक्ष कैट में रखना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, पटना बेंच, राँची में ओरिजनल एप्लिकेशन (ओ०ए०) नं०-29/2015-ललन कुमार बनाम यू०पी०एस०सी० एवं अन्य दायर की गयी है । श्री कुमार द्वारा इस मामले में एक एम०ए०...../2015 भी दायर किया गया है ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि श्री कुमार द्वारा दायर मामलों में विभाग के स्तर से दो शपथ पत्र क्रमशः 15 अप्रैल, 2015 एवं 6 जुलाई, 2015 द्वारा माननीय कैट न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा गया है । सम्प्रति मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका-1 एवं 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है ।

---

(74)

श्री गंगोत्री कुजूर, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.02.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–31 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में बाइकर्स गिरोह सक्रिया है, जिनके द्वारा लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है ;	राज्य के विमिन्न जिलों में पिछले वर्ष के दौरान बाईकर्स गिरोह की कुछ काण्डों में संलिप्तता पाई गई है। इसमें पैसे की लूट एवं महिलाओं से चैन, पर्स इत्यादि घटनाओं को अंजाम देने की सूचना है।
2	क्या यह बात सही है कि किशोर उम्र के लड़कों द्वारा मोटरसाइकिल/बाइक को लहरिया स्टाइल में चलाते हुए उपयोग किए जाने के कारण महिलाओं, लड़कियों में भय का महौल बना हुआ है ;	यदा–कदा किशोर उम्र के लड़कों द्वारा मोटरसाईकिल/बाईक लहरिया स्टाईल में चलाने का मामला प्रकाश में आया है, परन्तु इस कृत से महिला/लड़कियों में भय के संबंध में कहीं भी शिकायत दर्ज करने की सूचना प्राप्त नहीं है। मोटरसाईकल/बाईक को लहरिया स्टाईल से चलाने से केवल महिलाओं एवं लड़कियों में ही नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों में भी भय का माहौल बनना स्वभाविक है। इस संबंध में सभी जिलों के ट्रेफिक पुलिस को जागरूक रहकर संवेदनशील रहने लिए निदेशित किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने के साथ दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिला पुलिस द्वारा ऐसे घटित कई घटनाओं का उद्‌भेदन किया गया है एवं संलिप्त अपराधियों को जेल भेजा गया है। ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु जिला पुलिस द्वारा सघन गस्ती एवं चेकिंग अभियान चलाया जाता है। इस संबंध में दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। किशोरों द्वारा तेज रफ्तार में एवं बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने के कारण जुर्माना किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०(04)–08/2016.1052/ राँची, दिनांक–28/02/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–897, दिनांक–15.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

(75)

श्री अमित कुमार, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.02.2016 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–32 का उत्तर

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अमित कुमार, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के सिल्ली विधान सभा के सिल्ली, राहे एवं अनगड़ा प्रखण्ड को सूखा क्षेत्र घोषित किया गया है ;	स्वीकारात्मक । वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में सुखाड़ घोषित किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त खण्ड (1) में वर्णित क्षेत्र को सूखा क्षेत्र घोषित करने के बावजूद किसानों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है ;	वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में घोषित सुखाड़ के क्रम में सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :– (i) घोषित सुखाड़ के परिप्रेक्ष्य में 1140.77 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता हेतु मेमोरेण्डम एवं पुनः 2142.783 करोड़ रूपये मात्र का पूरक मेमोरेण्डम भारत सरकार को भेजा गया है । इसी क्रम में दिनांक–18 से 20 दिसम्बर, 2015 को केन्द्रीय दल (IMCT) द्वारा राज्य में सुखाड़ से हुई क्षति के आकलन हेतु राज्य का परिभ्रमण किया गया । (ii) प्रधान सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक में एवं विभाग द्वारा संबंधित विभिन्न विभागों की समय–समय पर समीक्षा की गई एवं सूखा से निपटने और इसके प्रतिकूल प्रभाव से जनसामान्य को राहत पहुँचाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये हैं । (iii) राज्य में पेयजल समस्या के समाधान हेतु विभिन्न जिलों को कुल–20.00 करोड़ रूपये मात्र की राशि आवंटित की गई है । (iv) पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु शहरी क्षेत्रों में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत के लिए 82,92,523/– (बेरासी लाख बानबे हजार पाँच सौ तेईस) रूपये की राशि नगर विकास एवं आवास विभाग को आवंटित कर दी गई है । साथ ही सूखे से प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान की राशि जिलावार उपायुक्तों को आवंटित करने एवं राज्य में खराब पड़े चापाकलों की मरम्मति हेतु कुल–457.00 करोड़ रूपये मात्र तृतीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित की गई है । शीघ्र ही उक्त राशि का आवंटन दे दी जायेगी।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित सूखा घोषित क्षेत्रों के किसानों के लिए राहत कार्य प्रारम्भ करना चाहती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	उक्त खण्ड–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07/गृ०का०आ०(विधायी)–15/2016–348/आ०प्र०, राँची, दिनांक–25-02-2016

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–893, दिनांक–15.02.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/16.
सरकार के संयुक्त सचिव

(76)

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.02.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–01 की उत्तर

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स०वि०स०	**श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग)**
1. क्या यह बात सही है कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिनांक–07.05.2015 को झारखण्ड में व्याप्त सूखा तथा पेयजल समस्या के समाधान हेतु 75.2933 करोड़ रूपये विभिन्न जिलों को उपलब्ध कराने से संबंधित लिये गये निर्णय के विरूद्ध 10 करोड़ रूपये ही 31 जनवरी, 2016 तक उपलब्ध कराये गये हैं ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति निम्नवत है :– दिनांक–07.05.2015 को राज्य कार्यकारिणी समिति की संपन्न बैठक में विगत वर्षो में अल्पवृष्टि एवं जलस्तर के नीचे चले जाने के कारण उत्पन्न पेयजल संकट के समाधान हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आरम्भिक रूप से आकलित राशि 75.2936 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था, किन्तु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारों (DDMA) के बीच एकरारनामा के तहत 40.9218 करोड़ रूपये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को आवंटित किया जाना है, जिसके विरूद्ध कुल–20.00 करोड़ रूपये की राशि सभी जिलों को आवंटित कर दी गई है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा अधियाचित 22.61 करोड़ रूपये का आवंटन देने की कार्रवाई की जा रही है ।
2. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बतायेगी कि प्राकृतिक आपदा के कारण राहत शीर्ष अंतर्गत पीने के पानी की पूर्त्ति के लिए शेष 65.2933 करोड़ राज्य के विभिन्न जिलों को कबतक उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	2. उपरोक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07/गृ०का०आ०(विधायी)–05/2016–249/आ०प्र०, राँची, दिनांक–25-02-2016

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–80, दिनांक–05.02.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/16
सरकार के संयुक्त सचिव

(77)

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–29.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–09 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा–10 के तहत राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन करना था, अथवा किसी कार्यरत आयोग को इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राधिकृत करना था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है अब तक सरकार ने राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन नहीं किया है;	अधिनियम की संगत धारा–10 के अंतर्गत आयोग का गठन बाध्यकारी प्रावधान के अधीन नहीं रखा गया है। सरकार इसके गठन के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लेगी।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन नहीं होने के कारण नागरिकों को असुविधा हो रही है और तय समय में सेवा न उपलब्ध कराने वाले अफसर लापरवाह होते जा रहे है;	अस्वीकारात्मक। नियमावली के प्रभावी प्रवर्तन के निमित्त प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी नामित हैं। द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी को दंडात्मक शक्ति प्रदत्त है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियमानुसार राज्य लोक सेवा परिदान आयोग का गठन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में लोक सेवा परिदान आयोग के गठन के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि0स0प्र0–08–01 / 2016 का0 1715 / राँची, दिनांक– 25 फरवरी, 2016

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा के पत्रांक–287 / वि0स0, दिनांक–10.02.2016 के प्रसंग में दो सौ पचास प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/2016
(अजय कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव।

78

माननीय स०वि०स० डॉ० जीतू चरण राम द्वारा दिनांक 29.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–14 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि काँके विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत खेलारी, बुढ़मू एवं मेक्लुस्कीगंज अलग–अलग थाना कार्यरत है;	स्वीकारात्मक। काँके विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत खलारी, बुढ़मू एवं मैक्लूस्कीगंज अलग–अलग थाना कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि खलारी में Dy Sp कार्यालय है तथा Dy Sp बैठकर कार्यक्षेत्र चान्हो, माण्डर, बुढ़मू खेलारी एवं मेक्लुस्कीगंज है का कार्य करते है;	स्वीकारात्मक। पुलिस उपाधीक्षक, खलारी का पद सृजित है, जिनका कार्यक्षेत्र चान्हों, माण्डर, बुढ़मू, खलारी, मैक्लूस्कीगंज एवं ठाकुरगाँव है तथा मुख्यालय खलारी थाना है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, बुढ़मू प्रखण्ड (जो राँची से 40 Km दूरी पर है) को अनुमंडल बनाना चाहती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। अनुमण्डल सृजन के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्त एवं आयुक्त की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् ही इसे प्रशासनिक इकाईयों के सृजन/पुनर्गठन हेतु उच्चस्तरीय समिति की बैठक में रखा जाता है एवं उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में नये अनुमण्डल सृजन की कार्रवाई की जाती है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–03/2016 का०–1709 /राँची, दिनांक–24/02/2016

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–296, दिनांक 10.02.16 के प्रसंग में 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.02.16

(भूषण पासवान)
सरकार के अवर सचिव।

79

माननीय स0वि0स0, श्री मनोज कुमार यादव द्वारा दिनांक 29.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू-39 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड गठन के 15 वर्षो के पश्चात भी अभी तक राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
02	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति आयोग गठन करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग के गठन के लिए समुचित विधायन प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक-14/झा0वि0स0-07-22/2016का0-.....1762...../रांची, दिनांक ...26/02/2016

प्रतिलिपि- उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या-1455 दिनांक 24.02.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/2016

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

(80)

श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.02.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला का एकमात्र अनुमण्डल मुख्यालय, राजमहल की दूरी जिला मुख्यालय से 35 कि०मी० है, जहाँ अग्निशमन केन्द्र स्थापित नहीं की गयी है, जिसकी मांग वर्षो से की जा रही है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि जिला के प्रखण्ड क्रमशः राजमहल एवं उधवा के दियारा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष अगलगी की घटनाएँ घटती है, परन्तु अग्निशमन केन्द्र नहीं होने के कारण आगलगी की घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण नहीं कर पाते है ;	अंशतः स्वीकारात्मक। राजमहल एवं उधवा के दियारा क्षेत्र मे अगलगी की घटना घटित होने पर त्वरित कार्रवाई करने के निमित उधवा थाना में माह अप्रैल 2015 से एक यूनिट फायर इंजन अग्निशमन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुमण्डल मुख्यालय, राजमहल में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राजमहल में अग्निशामालय की स्थापना होने तक स्थानीय पुलिस लाईन/थाना परिसर में अस्थायी तौर पर अग्निशामालय खोले जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज को निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05/वि०स० 04–01/2016.1009./ राँची, दिनांक–26/02/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–289, दिनांक–10.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

(81)

श्री सुखदेव भगत, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.02.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य वर्ष 2015 में दुष्कर्म के कुल बारह सौ मामले घटित हुए है ;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में वर्ष, 2015 में दुष्कर्म के कुल 1198 मामले प्रतिवेदित हुए है। उपरोक्त प्रतिवेदित काण्डों में से 682 काण्डों में आरोप पत्र निर्गत किया जा चुका है तथा 137 मामलों में अंतिम प्रतिवेदन निर्गत है। शेष काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दुष्कर्म के मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रखने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	महिलाओं एंव बालकों के विरूद्ध लैंगिक अपराध, बलात्कार एवं छेड़खानी आदि घटनाओं की रोक थाम हेतु सरकार कटिबद्ध है। इसके लिए सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देश निर्गत किए गए है। अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन महिलाओं की समस्याओं से संबंधित हेल्पलाईन नं०– 9771432103 तथा बच्चों की समस्याओं से संबंधित हेल्पलाईन नं०– 8877444444 कार्यरत् है। इसके अतिरिक्त "शक्ति एप" एंड्राईड आधारित मोबाईल एप्लीकेशन की मदद से किसी भी आपात स्थिति की सूचना पुलिस नियंत्रण कक्ष को दी जा सकती है। अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा समय–समय पर महिलाओं से संबंधित आपराधिक कांडो के अनुसंधान हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पोक्सो एक्ट, ईमोरल ट्रैफिक एक्ट जुवेनाईल जस्टिस एक्ट, क्रिमिनल ऐमेंडमेंट एक्ट 2013, लॉ रिलेटेड टू क्राईम अगेन्स्ट वूमेन इत्यादि विषयों पर कार्यशाला आयोजित कर पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों को संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित करने की कार्रवाई की जाती है। इसके अन्तर्गत कुल 547 पदाधिकारी/कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन महिलाओं के विरूद्ध इंटरनेट के माध्यम से हो रही हिंसा की रोकथाम हेतु साईबर क्राईम सेल का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन कोषांग भी संचालित है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–302/2016.1063/ राँची, दिनांक–28/02/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–158, दिनांक–08.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

(82)

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.02.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–30 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2005 में सी०आर०पी०सी० की धारा 436A के अनुसार आधी सजा काट चुके विचाराधीन कैदियों को जमानत पर छोड़ा जा सकता है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि दुमका केन्द्रीय कारागार में एक साल से अधिक समय से 271 विचाराधीन कैदी बंद है ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक –06.02.2016 को उक्त कारा में कुल–261 विचारधीन बंदी संसीमित थे जिसमें से कोई भी बंदी Cr.P.C की धारा–436A से आच्छादित नहीं है।
3	यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दुमका और राज्य के विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के बारे में जो अपनी आधी से अधिक सजा काट चुके है, की रिहाई और दोषी पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ समुचित कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	Cr.P.C की धारा–436A से आच्छादित बंदियों की समीक्षा हेतु प्रत्येक जिला में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधोश की अध्यक्षता में U.T. Review Committee गठित है। साथ ही मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर वाद Writ Petition (Civil) No-406/2013 में पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य के प्रत्येक काराओं में संसीमित विचाराधीन बंदियों की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है, ताकि Cr.P.C की धारा–436A के प्रावधानों का लाभ दिया जा सके। केन्द्रीय कारा, दुमका में दिनांक–14.07.2015 एवं 14.10.2015 को Under Trial Review Committee की बैठक आहूत की गई है। जिसमें Cr.P.C की धारा–436A से आच्छादित विचाराधीन बंदी नहीं पाये गये।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–05/2016 1091/ राँची, दिनांक–25/02/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–892, दिनांक–15.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

आरक्षण का लाभ देना ।

83. श्री योगेश्वर महतो--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बता सही है कि झारखण्ड राज्य के 15 जिलों के 137 प्रखण्ड सिड्युल क्षेत्र (ST/SC) के अन्तर्गत आते हैं

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त 137 प्रखण्डों में पिछड़े एवं अति पिछड़े जाति के लोग निवास करते हैं, जो 14 प्रतिशत आरक्षण के लाभ से वंचित हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 14 प्रतिशित आरक्षण दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अंशत: स्वीकारात्मक ।

राज्य में 12 जिला का पूर्ण क्षेत्र एवं दो जिले का आंशिक क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड राज्य) आदेश, 2007 द्वारा घोषित है । इसमें पड़ने वाले प्रखण्डों की संख्या 129 है ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

राज्य स्तरीय पदों में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लोगों को समेकित रूप से 14 प्रतिशित का आरक्षण अनुमान्य है । जिला स्तरीय पदों के मामलें में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक सीमित रखने के लिए राज्य के लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, खूँटी एवं लातेहार जिलों में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को आरक्षण उपलब्ध नहीं कराया जा सका है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका 2 में अंकित परिस्थिति में यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

---

(84)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, मा०स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या - 33 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि राज्य राज्य गठन से लेकर वर्ष 2014–15 तक विभिन्न योजना मद से ए०सी० बिल के माध्यम से 4,700 करोड़ रुपये राशि की अग्रिम निकासी का हिसाब अधिकारियों व पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण बकाया है जिसमें 2,500 करोड़ रुपये राशि का हिसाब सरकार को नहीं मिल रही है एवं डी०सी० बिल अब तक लंबित है?	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।** वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल ₹5548.47 करोड़ के डी०सी० विपत्र लंबित थे, जिनकी राशि वित्तीय वर्ष 2014–15 में घटकर ₹5023.33 करोड़ हो गयी तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में घटकर ₹4533.50 करोड़ हो गई है। अग्रिम (ए०सी० विपत्र) एवं समायोजन(डी०सी० विपत्र) का कार्य सापेक्षिक रूप से निरंतर होता है जो योजना विशेष की आवश्यकता एवं प्रकृति पर प्रशासी विभागों के द्वारा किया जाता है।
(2.) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित बिल का अबतक हिसाब न देना वित्तीय अनियमितता के साथ–साथ बड़े घोटाले का प्रतीक है?	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।** उपर्युक्त कंडिका–1 से स्पष्ट होगा कि लंबित डी०सी० विपत्रों को निरंतर समायोजन कराने की कार्रवाई की जा रही है।
(3.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यहित में खण्ड–1 में वर्णित बिल का हिसाब अबतक उपलब्ध न कराने वाले लापरवाह पदाधिकारियों को चिह्नित कर विधि सम्मत् कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	लंबित अग्रिम राशि (एस०सी० विपत्र से निकासी की गई राशि) के समायोजन हेतु योजना–सह–वित्त विभाग के पत्रांक 2372/वि० दिनांक 11.08.2015 से विस्तृत दिशा–निर्देश दिए गये हैं। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प संख्या 4815 दिनांक 14.08.2014 द्वारा विधायक योजना एवं मुख्यमंत्री विकास योजना में लंबित ए०सी० विपत्र के विरूद्ध डी०सी० विपत्र से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों /कर्मियों का डी०सी० विपत्र प्रेषण में दायित्व निर्धारण, अनुशासनिक एवं दण्डात्मक कार्रवाई करने के संबंध में सरकार का आदेश निर्गत है। महालेखाकार झारखण्ड के कार्यालय एवं योजना–सह–वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के द्वारा ए०सी०/डी०सी० विपत्रों के समायोजन की निरंतर समीक्षा की जाती है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग

ज्ञापांक : 10/वि०स० (4)–03/2016...503/14... राँची/दिनांक: 24.02.2016

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 1024/वि०स०, दिनांक 17.02.2016 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/16

(विनोद चन्द्र झा)

(83)

श्री शिव शंकर उराँव, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.02.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–28 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के गुमला जिले के 28 बच्चों को नक्सल अगवा कर अपने साथ ले गए थे ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त अगवा किए गए बच्चों में से 9 बच्चों की बरामदगी हो चुकी है और वे वापस लौट चुके है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रस्तुत घटना के संदर्भ में 12 बच्चे वापस घर आ चुके है। जिनमें गुमला जिला के 08 बच्चे एवं लोहरदगा जिला के 04 बच्चे वापस घर आ चुके है।
3	क्या यह बात सही है कि नक्सलियों के द्वारा अगवा किए गए ऐसे शेष सभी बच्चों को वापस लाने में देरी को लेकर माननीय न्यायालय ने अत्यंत गम्भीर टिप्पनी की है ;	माननीय न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में दिशा निर्देश दिये गए हैं तथा उनका अनुपालन भी किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अगवा किए गए बच्चों को वापस लाने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	इस संबंध में सभी बच्चों के सकुशल घर वापसी हेतु सी०आर०पी०एफ०/ सी०ए०पी०एफ०/एस०टी०एफ० एवं जिलाबल के द्वारा लगातार छापामारी की जा रही है तथा स्थिति की संवेदनशीलता के आलोक में कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इस क्षेत्र से भा०क०पा० (माओ०) के प्रभाव को समूल समाप्त करने हेतु पुलिस एवं पारा मिलिट्री के फारवर्ड कैम्पस लातेहार, गुमला एवं लोहरदगा के सीमावर्त्ती क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे है ताकि नक्सलियों का प्रभाव खत्म करने हेतु लगातार अन्तर जिला अभियान चलाने हेतु सहुलियत हो। इस संदर्भ में गुमला, लोहरदगा एवं लातेहार जिला में कुल 186 अभियान भी चलाये जा चुके हैं।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–06/2016 1067/ राँची, दिनांक–28/02/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–891, दिनांक–15.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(86)

श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.02.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2010–11 में 13 करोड़ रूपये की लागत से राँची के होटवार जेल सहित राज्य के 20 जेलों में जैमर लगाया गया था ;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्रीय कारा, राँची सहित राज्य के कुल 17 काराओं में कुल 43 जैमर ECIL, हैदराबाद (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा वर्ष 2009 से 2011 के बीच अधिष्ठापित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2010–11 में लगाये गये जैमर वर्त्तमान में कार्यरत नही है, फलस्वरूप सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण के उदेश्य से लगाए गए जैमर उदेश्यहीन हो चुके है ;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मरम्मति समय–समय पर ECIL, हैदराबाद द्वारा की गई / जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि खण्ड–1 में वर्णित जेलों में लगाए गए जैमर के खराब होने के क्या कारण है, तथा इसकी वृहद मरम्मति कराकर शीघ्र चालू कराना कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के 17 काराओं में अधिष्ठापित 43 जैमर के खराब होने का मुख्य कारण तकनीकी है। जिसका समय–समय पर ECIL, द्वारा निराकरण किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि०स०–01 / 2016 1092 / राँची, दिनांक–25/02/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–79, दिनांक–05.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

87

श्री अशोक कुमार, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.02.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के साथ–साथ राज्य के अन्य जिलों में ग्राम स्तर पर चौकीदार सबसे निचले स्तर का सेवक होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते आ रहे है, जिसकी नियुक्ति वंशानुगत नौमनी के आधार पर होती रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। दिनांक–01.01.1990 के पूर्व चौकीदारों की नियुक्ति वंशानुगत (नौमनी) के आधार पर नियुक्ति की जाती थी। 01.01.1990 से चौकीदारों/दफादारों को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित किया गया है। दिनांक–01.01.1990 के बाद सेवानिवृत चौकीदारों/दफादारों के नामित (नौमनी) को राज्य सरकार के पत्रांक–11287, दिनांक–20.12.1995 द्वारा एक बार अपवाद स्वरूप बांड लेकर चौकीदार के पद पर नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था।
2	क्या यह बात सही है कि पूर्ववर्ती सरकार में भी अवकाश प्राप्त चौकीदार के नौमनी को एक बार नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया था ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि चौकीदार सम्वर्ग नियमावली 2015 के आधार पर सरकार चौकीदारों की स्वतंत्र रूप से सीधी नियुक्ति करने जा रही है जिसके कारण सेवानिवृत हुए, जिन चौकीदारों के नौमनी की अभी तक नियुक्ति नही हो पायी है, उनके परिवार भुखमरी के कगार पर है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। डब्ल्यू०पी० (एस०) संख्या–2072/2007 नन्दन लोहरा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–17.11.2011 को आदेश पारित कर सेवानिवृत चौकीदारों/दफादारों के नामित आश्रित को अपवाद स्वरूप बांड लेकर नियुक्त करने पर रोक लगा दी गई है। चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु झारखण्ड चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2015 अधिसूचित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अवकाश प्राप्त एवं मृत्युपरांत वेसे चौकीदारों के नौमनी को, जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है, उनकी नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–03 में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है। सेवा अवधि के दौरान चौकीदारों/दफादारों की मृत्यु होने पर नियमानुसार अनुकंपा के आधार पर उनके आश्रित को सरकारी नौकरी पर नियुक्ति का प्रावधान है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–17/वि०स०–15/2016-1089/ राँची, दिनांक–25/02/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–728, दिनांक–13.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अग्रिम निकासी पर रोक ।

88. श्री सुखदेव भगत--क्या मंत्री, योजना सह-वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बता सही है कि राज्य बनने से लेकर 31 मार्च, 2015 तक विभागों द्वारा 15 हजार 8 सौ 56 करोड़ रुपये की अग्रिम निकासी के विरूद्ध 4 हजार 8 सौ 86 करोड़ रुपये का डी०सी० बिल अभी तक लंबित है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014-15 में 721 करोड़ रुपये की अग्रिम निकासी की गयी जिसमें 133 करोड़ रुपये की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च, 2015 को की गयी;

(3) यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अग्रिम निकासी के विरूद्ध बकाये डी०सी० बिल का ब्यौरा लेने और वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अग्रिम विपत्र द्वारा निकासी की प्रथा पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

(3) लंबित अग्रिम राशि (एस०सी० विपत्र से निकासी की गई राशि) के समायोजन हेतु योजना-सह-वित्त विभाग के पत्रांक-2372/वि० दिनांक 11 अगस्त, 2015 से विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गये है । महालेखाकार झारखण्ड के कार्यालय एवं योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के द्वारा ए०सी०/डी०सी० विपत्रों के समायोजन की निरंतर समीक्षा की जाती है । कोषागार से राशि की निकासी कोषागार संहिता के नियम 300 के आलोक में तत्काल व्यय के लिए ही करने का नियम है । संबंधित डी०डी०ओ० को इसका अनुपालन करना है;

---

(89)

श्री नागेन्द्र महतो, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.02.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–40 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड आन्दोलनकारियों के पहचान कर उन्हें सम्मानस्वरूप रोजगार, नौकरी, पेंशनादि देने हेतु झारखण्ड/वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का गठन सरकार द्वारा किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित आन्दोलनकारियों से सरकार को पचास (50) हजार आवेदन प्राप्त हुये है ;	अस्वीकारात्मक झारखण्ड / वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग को दिनांक–30.07.2015 तक कुल–62,390 (बासठ हजार तीन सौ नब्बे) आवेदन प्राप्त हुए हैं।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित आवेदनों में से मात्र 700 आंदोलनकारियों का ही पहचान सरकार द्वारा की गई है।	अस्वीकारात्मक गृह विभाग की अधिसूचना सं०–4920, दिनांक–10.08.2015 द्वारा कुल 2054 (दो हजार चौवन) आंदोलनकारियों को चिन्हित किया जा चुका है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित आवेदनों के आलोक में आन्दोलनकारियों के पहचान सुनिश्चित कर खण्ड–1 में वर्णित रोजगार, नौकरी, पेंशनादि की सुविधा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड / वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग की कार्य अवधि दिनांक–31.05.2016 तक विस्तारित है। चिन्हितीकरण का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार चिन्हित आंदोलनकारियों को संकल्प सं०–2108, दिनांक–07.05.2012 के अनुरूप सम्मानित करने एवं सुविधाएँ देने के लिए कृतसंकल्प है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–906/2016.1051/ राँची, दिनांक–27/02/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1454, दिनांक–24.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

(90)

श्री बिरंची नाराण, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.02.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिले के चास प्रखण्ड स्थित चीरा चास एक धनी आबादी वाला क्षेत्र है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र, चास थाना से काफी दूर स्थित है जिससे वहाँ बढ़ते अपराध पर नियंत्रण ससमय नहीं हो पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। चास थाना से चीरा चास की दूरी लगभग चार कि०मी० है। यह क्षेत्र काफी सघन आवादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ससमय अपराध नियंत्रण हेतु चीरा चास स्थित सिटी मॉल के प्रांगण में 2–8 का सशस्त्र बल (02 हवलदार, 08 सिपाही) नियमित रूप से प्रतिनियुक्त किया जाता है। उक्त बलों द्वारा चीरा चास में विधि–व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण कार्य किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चीरा चास में विधि व्यवस्था एवं शांति कायम करने हेतु ओ०पी० (outer police post) स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	बोकारो के चीरा चास में आउट पोस्ट के स्थापना के संबंध में आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग से उनकी अनुशंसा/मंतव्य की मांग की गई है। आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग से अनुशंसित प्रस्ताव प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–04/2016.1098/ राँची, दिनांक–25/02/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–295, दिनांक–10.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

(91)

श्री आलमगीर आलम, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 29.02.2016 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–07 की उत्तर सामग्री

क0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के निदेशानुसार 30 जून, 2015 तक सभी विभागों का शत प्रतिशत आवंटन आदेश जारी करना था, जो नहीं किया गया;	स्वीकारात्मक। वित्तीय प्रगति में सुधार लाने के लिए यह लक्ष्य रखा गया था कि 30 जून, 2015 तक कुल निर्धारित उद्व्यय 31690.59 करोड़ रू0 के विरूद्ध शत प्रतिशत राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृत्यादेश निर्गत कर दिया जाए, परन्तु ससमय केन्द्रांश की सम्पूर्ण राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सम्पूर्ण राशि का स्वीकृत्यादेश निर्गत नहीं किया जा सका। 30 जून, 2015 तक कुल निर्धारित उद्व्यय के विरूद्ध 9317.62 करोड़ रू0 का आवंटन आदेश निर्गत किया जा चुका था।
2.	क्या यह बात सही है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए राज्य योजना बजट 31690 करोड़ रूपए का है, जिसमें 9 महीनों में दिसम्बर, 2015 तक मात्र 15258.36 करोड़ रूपए ही खर्च किए गए हैं, जो निर्धारित लक्ष्य से पीछे है;	अंशतः स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल संशोधित उद्व्यय 29906.00 करोड़ रू0 के विरूद्ध दिसम्बर तक 15258.36 करोड़ रू0 (51.02%) प्रतिशत व्यय किया जा चुका है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्नखण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार योजना मद की शत प्रतिशत राशि गुणवतापूर्ण एवं समान वेग से समय सीमा के अन्दर खर्च करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। योजना मद अन्तर्गत कर्णाकिंत राशि का शत् प्रतिशत व्यय हो सके इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं विभागीय सचिव के स्तर पर प्रत्येक माह योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग

ज्ञापांक–10 / वि0स0 (4)-01/2016..33/वि0.. **राँची, दिनांक**...26/2/16.........

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.02.16

(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

(92)

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.02.2016 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं०–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के मोहनपुर थाना कांड सं०–490/15, दिनांक–12.11.2015 एवं दुमका जिला के हंसडीहा थाना कांड सं०–230/2015, दिनांक–10.11.2015 में दो लोगों की मौत पुलिस की लापरवाही के कारण पुलिस थाना के सामने हुई थी ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पुलिस उल्टे अपने बचाव हेतु मृतकों के परिवारों को ही अभियुक्त बना दिया है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या मृतकों के आश्रितों को 10–10 लाख रूपये मुआवजा गलत केस की वापसी एवं दोषी पुलिस पदाधिकारियों को अविलम्ब दण्डित करना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–01 एवं 02 के आलोक में कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०(04)–07/2016.1050 राँची, दिनांक–28/02/2016 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–291, दिनांक–10.02.2016 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

(93)

माननीय स0वि0स0, श्री नलिन सोरेन द्वारा दिनांक 29.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू-38 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है, कि दुमका जिला में अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C) का आरक्षण रद्द कर दिया गया है;	अस्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है, कि अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C) के आरक्षण रद्द होने से दुमका जिला के बेरोजगार युवक/युवतियां सरकारी सेवा में नियोजन के आरक्षित पदों पर होनेवाले नियुक्तियों से वंचित हो गये है,	अस्वीकारात्मक। जिला स्तरीय पदों में संकल्प सं0- 5795 दिनांक-10.10.2002 में अपनाई नीति के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण शून्य है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कि दुमका जिला में अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C) के आरक्षण पुनः लागू करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय संकल्प सं0-5795 दिनांक 10.10.2002 में लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार जिला स्तर पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित कोटि की रिक्तियों को विभिन्न कोटियों मे सर्वप्रथम अनुसूचित जाति को 1991 को जनगणना के अनुसार जिलावार जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण उपलब्ध कराया जाना है। उसके पश्चात् अनुसूचित जनजाति को 1991 की जिलावार जनगणना के अनुसार आरक्षण उपलब्ध कराया जाना है। अगर दोनों को मिलाकर 50 प्रतिशत से संख्या बढ़ जाती है तो आरक्षण 50 प्रतिशत तक ही सीमित रखने का निर्णय लिया गया है। इस प्रक्रिया के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण उपलब्ध कराने के बाद 50 प्रतिशत में से संख्या उपलब्ध होती है तो वह शेष प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को मिलाकर एक कोटि मानकर) उपलब्ध कराया जाना है। दुमका जिला में 1991 की जनगणना के अनुसार अ.जा. की आबादी 5.55 प्रतिशत तथा अ.ज.जा. की आबादी 46.62 प्रतिशत थी, इसलिए अ.जा. को 5 तथा अ.ज.जा. को आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा अन्तर्गत 45 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। चूंकि 50 प्रतिशत की सीमा अन्तर्गत कोई प्रतिशत शेष नहीं बचता इसलिए दुमका जिला में जिला स्तरीय पदो के नियोजन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। सम्प्रति, दुमका जिला के जिला स्तरीय पदों में नियोजन के लिए आरक्षण में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–23/2016का0–.....176/.....रांची, दिनांक ...26/02/2016

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–1456 दिनांक 24.02.2016 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिवाकर प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।

माननीय श्री जयप्रकाश भाई पटेल, स0वि0स0 द्वारा आगामी अधिवेशन में दिनांक- 29.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-22 का उत्तर प्रतिवेदन।

माननीय श्री जयप्रकाश भाई पटेल, स0वि0स0 द्वारा आगामी अधिवेशन में दिनांक- 29.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-22 का उत्तर निम्नवत अंकित है:-

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में कुल आबादी का 56% पिछड़ी जाति है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि 56% आबादी के बावजूद भी 14% आरक्षण दिया जा रहा है;	झारखण्ड पदों एवं रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 के अनुसार पिछड़े वर्गो के लिए कुल मिलाकर 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। किन्तु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद सं0-डब्लू0पी0(पी0आई0एल0) 3696/2002- रजनीश मिश्रा बनाम राज्य सरकार एवं डब्लू0पी0(पी0आई0एल0) 4706/2001 दिनेश नीरज शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित ओदश के अनुसार आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक सीमित रखने के निमित्त राज्य स्तरीय पदों के लिए संकल्प सं0-5776, दिनांक-10.10.2002 के आलोक में अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0पि0वर्ग एवं पि0वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर) को 14 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला स्तरीय पदों के लिए संकल्प सं0-5795 दिनांक-10.10.2002 में अपनायी गई नीति के अनुसार कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा के अर्न्तगत अन्य पिछड़ा वर्ग (समेकित रुप से) को 14 प्रतिशत से अधिक आरक्षण उपलब्ध कराया गया है- यथा धनबाद में 27, देवधर में 26, बोकारो और गिरिडीह में 25 तथा हजारीबाग, चतरा और कोडरमा में 24 प्रतिशत।
3	क्या यह बात सही है कि तमिलनाडु एवं बिहार राज्य में पिछड़ा वर्ग का अलग विभागीय मंत्री तथा बजट का प्रावधान है;	बिहार में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं।
4	क्या यह बात सही है कि मुंगेरीलाल आयोग के रिपोर्ट में भी अलग बजट का उल्लेख किया गया है;	मुंगेरीलाल आयोग के प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार से पत्राचार किया गया है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पिछड़ा वर्ग को 21% आरक्षण उपर्युक्त उल्लेखित राज्यों के तरह अलग विभागीय मंत्री एवं अलग बजट के साथ पिछड़ावर्ग वित्त निगम का गठन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 2 में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। पिछड़ा वर्ग के लिए अलग मंत्री और बजट की व्यवस्था के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। पिछड़ा वर्ग वित्त निगम के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–15/2016 का0–1760/रांची, दिनांक 26/02/2016

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–726 वि0स0 दिनांक–13.02.2016 के प्रसंग में 250(दो सौ पचास) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26-2-2016

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

(95)

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.02.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–19 का उत्तर

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रामकुमार पाहन, माननीय स०वि०स०	**श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग)**
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत नामकोम प्रखण्ड स्थित हहाप, रामपुर, चेटे, सोदाग, राजाउलातु, लाली इत्यादि गाँवों में वर्ष 2015 में वर्षा मौसम के समय अत्यधिक ओलावृष्टि हुई थी, जिससे खेतों में लगी फसल बर्बाद हो गया था ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। उपायुक्त, राँची के पत्रांक–39(i), दिनांक–09.02.2016 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार राँची जिला के नामकोम अंचल में ओलावृष्टि से हुए फसल क्षति का विवरण निम्नवत् है :–

पंचायत	प्रभावित किसानों की संख्या	फसल क्षति (रूपये में)
लाली	558	28,85,604/–
सोदाग	353	15,80,483/–
कुटियातु	269	13,29,933/–
राजाउलातु	202	7,89,743/–
हहाप	237	10,40,807/–
लालखटंगा	94	2,83,228/–
रामपुर	413	15,87,905/–
खिजरी	05	7,816/–
कुल–	**2131**	**95,05,519/–**

उक्त के आलोक में उपायुक्त, राँची द्वारा कुल 95,05,519/–(पनचान्वे लाख पाँच हजार पाँच सौ उन्नीस) रूपये का अधियाचना समर्पित की गई थी।

2. क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्रों में ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था ;	उपरोक्त खण्ड–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3. क्या यह बात सही है कि आलोवृष्टि से नुकसान हुए किसानों को अब तक फसल का मुआवजा नहीं मिला है ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय आवंटनादेश संख्या–57 (आ०), दिनांक–20.02.2016 से राँची जिला के नामकोम अंचल के लाली, सोदाग, कुटियातु, राजाउलातु, हहाप, लालखटंगा, रामपुर एवं खिजरी पंचायतों के किसानों को मुआवजा भुगतान हेतु कुल–95,05,519/–(पनचान्वे लाख पाँच हजार पाँच सौ उन्नीस) रूपये का आवंटन उपायुक्त, राँची को दे दिया गया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	उपरोक्त खण्ड–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक:–07/गृ०का०आ०(विधायी)–09/2016–244/आ०प्र०, राँची, दिनांक–25-02-2016

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–219, दिनांक–10.02.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/16

सरकार के संयुक्त सचिव

(96)

श्री नवीन जयसवाल, मा०स०वि०स० द्वारा अधिवेशन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ॰सू॰ 36 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि बिहार गजट सं॰ 1049 दिनांक 08.12.1979 एवं झारखण्ड सरकार, स्वास्थ्य विभाग का संकल्प सं॰ 118(8) दिनांक 14.07.2004 द्वारा आयुर्वेदिक /आयुष प्रक्षेत्र के चिकित्सा पदाधिकारी का पद राजपत्रित घोषित किया गया, जिसमें इनका वेतनमान एवं नियुक्ति राज्य चिकित्सा सेवा के समतुल्य सेवा एवं शर्त्तों के अंतर्गत होती है?	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन (अनुलग्नक 'क') के अनुसार :– 1. बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग गजट सं॰ 1049 दिनांक 08.12.1979 के द्वारा आयुर्वेद एवं युनानी चिकित्सा संवर्ग को राजपत्रित घोषित किया गया है, किन्तु उक्त गजट के कंडिका–2 में यह उद्धृत है कि उनके वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसी गजट के कंडिका–3 में उद्धृत है कि राज्य चिकित्सा सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की नियुक्ति आदि संबंधी जो प्रक्रिया है वही राजपत्रित घोषित की जाने के बाद इन पदों के लिए लागू होगी। 2. स्वास्थ्य विभाग, झारखंड के संकल्प संख्या 148 दिनांक 14.07.2004 द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सकों को राजपत्रित घोषित करते हुए इस संवर्ग को आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा पदाधिकारियों की भांति शक्तियां प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
(2.) क्या यह बात सही है कि सेवा संहिता भाग (1) नियम (8) के अनुसार उपर्युक्त खण्ड (1) के आधार पर राजपत्रित पदाधिकारी होने से ये राज्य सेवा के सदस्य है?	**अस्वीकारात्मक।**
(3.) क्या यह बात सही है कि तीसरा वेतन आयोग (3rd PRC) से पाँचवें वेतन आयोग (5th PRC) तक आयुर्वेदिक आदि आयुष प्रक्षेत्र के पदाधिकारियों का वेतनमान राज्य सेवा के अन्य पदाधिकारियों के समतुल्य रहा है। तदान्तर्गत छठे वेतन आयोग (6th PRC) के बाद इंन्हें ग्रेड–पे 5400/– की जगह 4200/– दिया गया है?	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।**
(4.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एकरूपता के सिद्धांत के तहत समुचित संशोधन कर विसंगति दूर कर आयुष चिकित्सकों का वेतनमान छठे वेतन आयोग (6th PRC)- में एलोपैथी पदाधिकारियों के समानान वेतनमान II, एवं GP 5400/- करने का विचार करती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संदर्भित मामले में वेतन विसंगति से संबंधित अपीलीय समिति द्वारा अपील को खारिज किया जा चुका है। वादीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर LPA No. 428/2013 को भी निष्पादित किया जा चुका है तथा वादीगण के पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग

ज्ञापांक : 10/वि॰स॰ (4)–32/2015.....34/वि॰(?)...   राँची/दिनांक: 26.02.2016

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 1376/वि०स०, दिनांक 22.02.2016 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.02.16

(विनोद चन्द्र झा)

अनुलग्नक –'ग'

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं०सं०– 20/आयुष वि० सभा–04/16

श्री नवीन जयसवाल, मा०स०वि०स० द्वारा पूछे जाने वाला अ०सू० सं० –36 के कंडिका–1 से संबंधित उत्तर सामग्री–

क्र०सं	प्रश्न	प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि बिहार गजट सं0 1049 दि0 08.12.1979 एवं झारखंड सरकार, स्वास्थ्य विभाग का संकल्प सं0 118(8) दि0 14.07.04 द्वारा आयुर्वेदिक/आयुष प्रक्षेत्र के चिकित्सा पदाधिकारी का पद राजपत्रित घोषित किया गया, जिसमें इनका वेतनमान एवं नियुक्ति राज्य चिकित्सा सेवा के समतुल्य सेवा एवं शर्त्तों के अन्तर्गत होती है।	1. बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग गजट सं0 1049 दि0 08.12.79 के द्वारा आयुर्वेद एवं युनानी चिकित्सा सम्वर्ग को राजपत्रित घोषित किया गया है, किन्तु उक्त गजट के कंडिका– 2 में यह उद्धृत है कि उनके वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसी गजट के कंडिका– 3 में उद्धृत है कि राज्य चिकित्सा सेवा सम्वर्ग के पदाधिकारियों की नियुक्ति आदि संबंधी जो प्रकिया है वही राजपत्रित घोषित की जाने के बाद इन पदों के लिए लागू होगी। 2. स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार के संकल्प सं0 148 दि0 14.07.04 द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सकों को राजपत्रित घोषित करते हुए इस सम्वर्ग को आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा पदाधिकारियों की भांति शक्तियां प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के आलोक में वित्त विभाग अपने स्तर से समुचित निर्णय लेते हुए उत्तर प्रतिवेदन विधान सभा सचिवालय को प्रेषित करना चाहेंगे।

अनुलग्नक– संलग्न

ज्ञापांक–20/आयुष वि0 सभा–04/16 43(20) /रांची, दि0– 25-2-16

प्रतिलिपि– श्री विनोद चन्द्र झा, विशेष सचिव, योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) को उनके पत्रांक 509 दि0 24.02.16 के कम में प्रेषित।

25-2-16

(मनोज कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

97

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–29.02.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–15 का उत्तर

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अरूप चटर्जी, माननीय स०वि०स०	**श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग)**
1. क्या यह बात सही है कि राज्य भर में अगलगी के आकस्मिक दुर्घटना में भुक्तभोगी परिवार को किसी भी प्रकार का सरकारी मुआवजा या लाभ नहीं दिया जाता है ;	अस्वीकारात्मक । विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राकृतिक आपदा, अग्निकांड से प्रभावितों को उपायुक्त, राँची, देवघर, कोडरमा एवं हजारीबाग से प्राप्त अधियाचना प्रस्ताव के आलोक में 4,77,700/– (चार लाख सतहत्तर हजार सात सौ) रूपये मात्र आवंटित की गई है । साथ ही भारत सरकार अंतर्गत अधिसूचित प्राकृतिक आपदा (जिसमे अग्निकांड भी शामिल है) से प्रभावितों हेतु संकल्प संख्या–604, दिनांक–18.05.2015 के आलोक में विभिन्न आवंटनादेशों से प्रत्येक जिला को 25,00,000/– (पच्चीस लाख) रूपये आवंटित किया गया है । जिसके तहत प्राकृतिक आपदा से संबंधित मामले जिसमें अग्निकांड भी शामिल है जिसपर उपायुक्त अपने स्तर से आवंटन देने के लिए स्वयं सक्षम हैं ।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार अगलगी से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्ड–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–07/गृ०का०आ०(विधायी)–08/2016–242 /आ०प्र०, राँची, दिनांक– 25-02-16

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–293, दिनांक–10.02.2016 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/अपर मुख्य सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/16
सरकार के संयुक्त सचिव